में पकड़ा गया उसकी मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है—

वस्तु	1968-69	1969-70
सोना	4620 किलोग्राम (मूल्य 386 लाख रु०)	5806 किलोग्राम (मूल्य 490 लाख रु०)
	(मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)	
अन्य माल	मूल्य 19,31 लाख रुपये	18,76 लाख रुपये

(घ) इस अवधि में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

	भारतीय	विदेशी
1968-69	2012	69
1969-70	2085	83

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सोना बरामद करना

2051. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियन्त्रण के लागू होने से अब तक देश के विभिन्न भागों में कितना निषिद्ध सोना बरामद हुआ ; और

(ख) कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). स्वर्ण (नियंत्रण) और सीमा शुल्क अधिनियमों के अंतर्गत 1-9-1968 से (जब स्वर्ण नियंत्रण) अधिनियम, 1968 लागू हुआ था। 30-6-1970 तक पकड़ गये सोने (अर्थात् शुद्ध सोना, सोने की वस्तुएं और आभूषण) की मात्रा उसका मूल्य और उक्त सोने को पकड़ने के मामलों के सिलसिले में न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी।

खड़े पानी तथा गन्दगी से शाहदरा तथा तुगलकाबाद के कुछ क्षेत्रों के निवासियों को बीमारियां होना

2052. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

[illegible] तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आ[illegible] तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा तथा दिल्ली और तुगलकाबाद तथा नई दिल्ली के बीच रेलवे लाईन के दोनों ओर बहुत अधिक खड़ा पानी तथा गन्दगी है जिससे उन क्षेत्रों के लोगों को घातक बीमारियां हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो खड़े पानी के निष्कासन के लिए तथा गन्दगी को हटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाए किये गये हैं ;